


26  $\frac{5}{23}$

पत्रा० पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। उभय पक्ष  
 ने जरिये क्विबिबल राजीनामा पेश कर निवेदन किया  
 कि पक्षाधारण के मध्य लोड अदालत की पैलान से  
 राजीनामा हो गया है। चक्र 93 अ.ब. वहील अरूपगढ़  
 के मु.न. 7, 8, 9, 10, 11 के क्रि.न. 21 व 25 में मोड़ पर  
 कोई रास्ता चालू नहीं है तथा मा ही यहाँ रास्ता की  
 कोई आवश्यकता है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन  
 है कि मुलाबिबु राजीनामा अपील स्वीकार कर अपीलवापीन  
 नामान्त (0) दिनांक 29.06.2002 निरस्त करमात्रा जोषे।  
 वकील अपीलवापी ने राजीनामा के साथ रैस्पोडेंट से. 2  
 धर्मचंद के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश कर निवेदन किया  
 कि धर्मचंद का देहान्त दिनांक 09.02.2023 को ही हुआ  
 है, जिसके विधिबु वारिस श्रीपेन्द्र कुमार इस राजीनामा  
 से सहमत है। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व  
 रैस्पोडेंट से. 2 धर्मचंद का मृत्यु प्रमाणपत्र शामिल  
 पत्रावली किया गया।

26/05/23  
 TDR APH

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में उभय  
 पक्ष द्वारा राजीनामा पेश कर अपील स्वीकार कर नामान्त (0)  
 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में उभय  
 पक्ष को सुना गया। उभय पक्ष ने अपील अपीलवापी  
 स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः  
 सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने के लिए मोखिबु निवेदन किया  
 है; जिस पर पैरोकार राज के सहमति स्वरूप आदेशिका  
 पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः अपील अपीलवापी स्वीकार की  
 जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय मापब वहीलवापी  
 (क्र. अ. 9) अरूपगढ़ का अपीलवापीन इंसफाल से. 70, 71,  
 72 धारिज कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस  
 आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है। प्रकरण में  
 उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान  
 करते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली  
 बाद न्यायिक तरीक नम्बर से कम होकर दाखिल  
 हुअर है।

आदेश सुनाना युले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 अतिरिक्त जिला कलकत्ता  
 सुरतगढ, जिला श्री गंगानगर

